न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2025

उनवान

राजेश पिता गोकलजी कलाल निवासी आसन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15.7.. 2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. पटवार हल्का आसन के मौजा आसन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर का प्रार्थी द्वारा वर्ष 2003 में कृषि से आबादी में रूपान्तरण करवाया गया था। जिस पर प्रार्थी का कब्जा होकर उपभोग – उपयोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित सर्वे नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. भूमि का कृषि से आबादी रूपान्तरण आदेश क्रमांक राजस्व/2003/320–24 दिनांक 31.3.2003 द्वारा प्रार्थी के नाम रूपान्तरण किया गया। परन्तु त्रुटी पूर्वक उक्त भूमि का आबादी नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम न होकर राजस्व रिकार्ड में जरिए नामान्तरण संख्या 337 दिनांक 16.7.2003 द्वारा श्री सरकार आबादी दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि खातेदारी भूमि होने के कारण कृषि से आबादी में रूपान्तरण करने के पश्चात् प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए परन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटी वष राजस्व रिकार्ड में श्री सरकार आबादी दर्ज रिकार्ड हो गयी है। त्रुटी के संबंध में प्रार्थी ने कई बार राजस्व कर्मचारियों से शुद्धी किये जाने हेतु निवेदन किया परन्तु किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी जिस कारण से प्रार्थी को आएदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा सर्वे नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. भूमि का श्री सरकार आबादी से प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने बाबत् प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम [illegible] हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] तहसीलदार, गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर भूमिधारी [illegible] का जवाब पेश हुआ। भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया कि खातेदार राजेश पिता गोकलजी कलाल निवासी आसन द्वारा सर्वे न. 5829/719 रकबा 0.10 हे. भूमि कृषि से आबादी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

रूपान्तरण आदेश क्रमांक राजस्व/2003/320–24 दिनांक 31.3.2003 के तहत आबादी संपरिवर्तन आबादी (आवासीय) में दर्ज हुआ था। उक्त संपरिवर्तन के पश्चात राजस्व कर्मियो द्वारा त्रुटि पुर्वक उक्त भूमि का आबादी रूपान्तरण का नामान्तकरण खातेदार के नाम न करके ग्राम आसन में राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 16.7.2003 द्वारा गैर मुमकीन आबादी दर्ज कर दिया गया था। उक्त आराजी नम्बर वर्तमान में ग्राम आसन की जमाबन्दी खाता स. 1 मे खसरा नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. किस्म आबादी गैर मुमकीन आबादी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. किस्म आबादी पर वर्तमान में खातेदार राजेश पिता गोकलजी कलाल का कब्जा होकर मकान बना हुआ है। मौजा आसन की आराजी नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. किस्म आबादी गैर मुमकिन से खातेदार राजेश पिता गोकलजी कलाल निवासी आसन के नाम से करना उचित होना बताते हुए जांच रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दस्तावेजों एवं भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। किन्तु वर्ष 2003 में कराये गये भूमि रूपान्तरण के पश्चात् हुए नामान्तरण संख्या 337 द्वारा उक्त भूमि श्री सरकार आबादी दर्ज की गई थी। जो नियमानुसार नहीं होने से श्री सरकार के स्थान पर निजी आबादी दर्ज किया जाना चाहिए था। अतः पटवार हल्का आसन के मौजा आसन के सर्वे नम्बर 5829/719 रकबा 0.10 हे. किस्म– निजी आबादी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2025 को सरे इजराय में सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner